तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 4889 / 2004 / चित्तोडगढ</u>** **<u>किशनलाल बनाम नारु</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-8-19	**एकल–पीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री ओ0एल0 दवे, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं –––– **–: <u>आदेश</u> :–** हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा अपील संख्या 32/2003 शीर्षक किशनलाल बनाम नारु में पारित निर्णय दिनांक 31–08–2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षिप्ति तथ्य इस प्रकार से रहे हैं कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर/उप खण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में प्रार्थी/निगराकार द्वारा वादपत्र के साथ में एक प्रार्थना पत्र अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अंतर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा रुदडी, तहसील कपासन स्थित आराजी खसरा नम्बरान 451 रकबा 0.03 है0, 453 रकबा 0.04 है0, 454 रकबा 0.28 है0, 465 रकबा 0.34 है0, 466 रकबा 0.18 है0, 467 रकबा 0.83 है0, 468 रकबा 0.06 है0, 469 रकबा 0.18 है0, 470 रकबा 0.06 है0, 471 रकबा 0.11 है0, 472 रकबा 0.09 है0, 1953 रकबा 0.03 है0, 1954 रकबा 0.65 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.88 है0, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 की मौरुसी मिल्कियत व कब्जे की है और राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–1 के नाम अंकित है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–1 का गोद पुत्र है और अप्रार्थी संख्या–1 व उनकी पत्नी मु0 सायरी ने प्रार्थी के जाइन्दा पिता माता भैरुलाल पिता मगनीराम व मु0 कमला बाई से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। पूर्व में यह आराजी अप्रार्थी संख्या–1 के पिता मेघा पिता सार्दूल की खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी 1/2, 1/2 हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त में हैं। अप्रार्थी संख्या–1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रश्नगत आराजी को बेचान व अंतरित नहीं करें और दस्तावेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 4889 / 2004 / चित्तोडगढ</u>** **<u>किशनलाल बनाम नारु</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का पंजीयन नहीं करावें। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी का गोद पुत्र नहीं है और अपने आप को गोद पुत्र कह कर अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है। प्रार्थी की शादी उसके पिता भैरुलाल व माता कमला ने कराई है, मेरे द्वारा शादी कराने की बात गलत लिखी है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के कब्जे काश्त व खातदेारी की है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने निर्णय दिनांक 31–07–2003 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा निर्णय दिनांक 31–08–2004 से अपील को अस्वीकार किया, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने पर योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का पक्ष दिनांक 26–08–2018 को निगरानी पर सुना गया, जिसके आदेशार्थ पत्रावली प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या–1 के नाम खातेदारी में अंकित है। अप्रार्थी संख्या–1 नारु के कोई जाइन्दा संतान नहीं होने से, प्रार्थी के जाइन्दा पिता एवं माता भैरु लाल एवं कमला बाई से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विधि पूर्वक गोद लिया गया है और तभी से प्रार्थी उनके साथ रह रहा है। प्रार्थी के दत्तक पिता एवं उनकी पत्नि सायरी ने ही प्रार्थी की शादी दिनांक 26–4–2002 को कराई है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में अप्रार्थी संख्या–1 के पिता मेघा पि0 साधू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी और उनके फौत होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या–1 के नाम विरासतन दर्ज की गई है। इस प्रकार आराजी पैतृक होने से प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1/2 हिस्से के हक हकूक पैदा हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने अविधिक रुप से अभिमत पारित करते हुए निर्णय दिये हैं। गोदनामा का पंजीयन होना आवश्यक नहीं होता है बल्कि गोद का प्रमाणित होना काफी होता है। प्रार्थी के गॉव एवं आसपास के व्यक्तियों ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, उससे प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या–1 के गोद जाने के तथ्य की बखूबी पुष्टि होती है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी के गोद जाने के बिन्दु को संदेह किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 4889 / 2004 / चित्तोडगढ</u>** **<u>किशनलाल बनाम नारु</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष की पुष्टि के लिए पडौसी रामचन्द्र जाट, भैरुलाल जाट, माधू लाल जाट, सोहन लाल ब्राह्मण, भैरु लाल सालवी, माधू जाट, माधव लाल, शंकर लाल, रुपा नाई, भंवर लाल नाई, भरु लाल नाई व मोहन के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। शादी के निमंत्रण पत्र के अंकनों के अनुसार भी अप्रार्थी, प्रार्थी का दत्तक पिता साबित होता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी को यदि किसी प्रकार से रहन, बैय, मुॅतकिल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 को स्वीकार किया जाए। अप्रार्थी को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दु को देखा जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में सुस्पष्ट है कि जमाबंदी सम्वत् 2058 में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या–1 नारु पुत्र मेघा नाई की खातेदारी में अंकित है और स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान में आराजी अप्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यही लिया है कि उसे अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा गोद लिया गया है और वह अप्रार्थी संख्या–1 का गोद पुत्र है। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने गोदपुत्र होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जहॉ तक प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में मौखिक साक्ष्य के रुप में पडौसियों के शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं, इन शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 को गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने भी अपने निष्कर्ष में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 को गोद पुत्र होना नहीं माना है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या–1 की अभिलिखित खातेदारी में है और खातेदार के रुप में ही कब्जे का प्रिजम्पशन माना जाता है, जब तक कि पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य से इसे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि कब्जा अप्रार्थी संख्या–1 का व प्रार्थी का सम्मलित रुप से है। अतः कब्जे का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हो कर अप्रार्थी के पक्ष में ही कब्जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 4889 / 2004 / चित्तोडगढ</u>** **<u>किशनलाल बनाम नारु</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माना जायेगा। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दु साबित नहीं होते है बल्कि खातेदार होने से ये बिन्दु अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में ही साबित होना माना जायेगा। अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित नहीं मानते है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने भी समवर्ती निष्कर्ष लेते हुए अपने निर्णय पारित किये हैं। निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है और जहॉ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, वहॉ निगरानी के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की भूल या त्रुटि होना प्रतीत नहीं होने से, निगरानी के माध्यम से इन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	